State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

1162

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं0: SHSB/RI/331/10
पत्रांक सं0:..................दि0:........../ 11 / 2012

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय: एफ0एम0 आर0 बजट कोड Part- CPP - 6 - पल्स पोलियो अंतर्गत वाहन एवं परिवहन मद (POL Transport) में की गई राशि वृद्धि हेतु संशोधित वित्तिय दिशा–निर्देश के प्रेषण के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तिय वर्ष 2012–13 के एफ0एम0 आर0 बजट कोड Part- CPP - 6 - पल्स पोलियो अंतर्गत वाहन एवं परिवहन मद (POL) में भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राशि में वृद्धि की गई है। पूर्व में (POL Transport) मद में प्रति वाहन 650/- रु0 निर्धारित थी जो संशोधन के पश्चात् 800/- प्रति वाहन हो गई है। संशोधित वित्तिय दिशा–निर्देश को इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

प्रतिलिपि: 9309   नि0 – 07.11.12

1. अपर निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
2. वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
3. राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि उक्त से संबंधित संशोधित वित्तिय दिशा–निर्देश की छायाप्रति जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं प्रत्येक इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, रा0स्वा0समिति, बिहार को आवश्यक कार्यवाई हेतु।

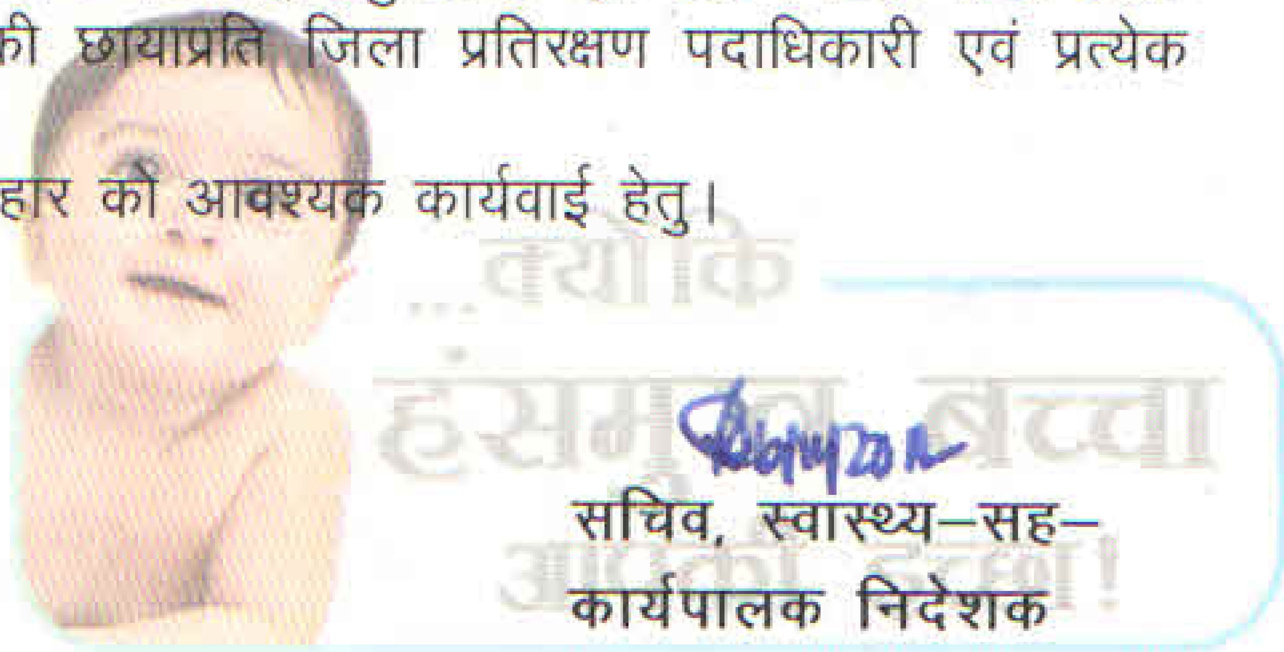

सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश (Revised)

कार्यक्रम का नाम –
पल्स पोलियो अभियान

बजट /एफ0एम0आर0 शीर्ष
वाहन एवं परिवहन
एफ0एम0आर0. कोड सं. CPP -6

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या

पल्स पोलियो – 4

कायक्रम का संक्षिप्त विवरण
कार्यक्रम के दौरान टीकाकर्मियों तक सुदूरवर्ती इलाको में समय पर दवा पहुचाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में सब–डीपो तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं जिला मुख्यालय में डीपो की व्यवस्था की गई है। इन डीपो/सब–डीपो पर वैक्सीन पहुचाने के लिए वाहन वास्तविक कार्यदिवसों के लिए अनुमान्य है।

इकाई राशि (रू0)
रू0 800/– (नवम्बर 2012 चक्र से लागू)

वित्तीय दिशा निर्देश
वाहन एवं परिवहन : जिला मुख्यालय को तीन वाहन (एक वाहन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को) तथा डिपो/सब–डिपो के लिए एक वाहन, 800/– रुपये प्रतिदिन की दर से वास्तविक कार्य दिवसों के लिये अनुमान्य हैं, डिपो/सब–डिपो पर सामानों की आपूर्ति के पश्चात् उसी वाहन को चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा प्रबन्धन में प्रयोग में लाया जायेगा। इस मद की राशि का उपयोग किसी दूसरे परिवहन अथवा माध्यम से वैक्सीन पहुँचाने के लिए भी किया जा सकता है जैसे दियरा क्षेत्र के लिए नाव, ट्रैक्टर, कुली इत्यादि। **इस राशि का भुगतान एस.एम.ओ, एन.पी.एस.पी.(डब्ल्यू.एच.ओ) के द्वारा उपयोग किये गये वाहन के सत्यापित किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा। चक्र के दौरान उपयोग किये गये वाहनों का पूर्ण विवरण सभी सम्बन्धित स्तर पर संधारित किया जाये।**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम
डॉ नरेन्द्र कुमार सिंहा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर
9470003014 / 0612-2290351

6/11/2012

06/11/12

06/XI/12